7-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद बादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाने के उपरान्त डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल. यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(7)

(राजस्व वाद संख्या – 186/2019 अनवान गुरमीतसिंह बनाम गुरमेलसिंह)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 186/2019

1 गुरमीत सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 गुरमेलसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 प्रवीण पाल कौर पुत्री जंगीर सिंह पत्नी श्री गुरभेज सिंह जाति जटसिख निवासी 23 आर.बी. संगराना तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
3 आई.डी.बी. आई बैंक शाखा हनुमानगढ़ जंक्शन। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता वादी
2. श्री अमरीकसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

दिनांक :– 07.08.2019

–:: निर्णय ::–

वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि मुझ वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक नम्बर 17 एम.एम.के. खाता संख्या 25/19 मे 1.518 हैक्टर व चक 18 एल.एल.डबल्यू. ए के खाता संख्या 19/18 मे 1.012 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबंदी वाके चक 17 एम.एम.के. खाता संख्या 25/19 सम्वत 2075/2078 व चक 18 एल.एल.डबलयू. ए खाता संख्या 19/18 सम्वत 2071–76 हमराह पेश है।

अर्जीदावा की दफा 2 मे वर्णित भूमि पूर्व मे मुझ वादी के दादा स्व. जंगीर सिह की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात बसिलसिला विरासतन मुझ वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिह पर औद हुई। उक्त भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है जिसमे मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वर्थ राईट हांसिल है चूकि उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा अन्य सम्पति क अलावा अर्जीदावा की दफा 2 मे वर्णित भूमि का आपस मे घरू बंटवारा (पारीवारिक समझौता) कर लिया है। पारीवारिक समझौता/घरू बंटवारा होने के पश्चात् प्रतिवादीया संख्या 2 ने घरू बंटवारा मे प्राप्त भूमि मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है। मुताबिक घरू बंटवारा पारिवारिक समझोता मुझ वादी को वाके चक 17 एम.एम.के. खाता संख्या 25/19 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 1.518 हैक्टर प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 को वाके चक 18 एल.एल. डबल्यू. ए खाता संख्या 19/18 मे दर्ज 1.012 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई है। घरू बंटवारा के रोज से ही मुझ वादी अपने घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि पर काबिज रहकर बिना किसी रोक टोक के काश्त कर रहा है। परन्तु अभी तक राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित होने के कारण मुझ वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः वादी घोषणा इस अमर की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादी गुरमीतसिह, प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिह के नाम दर्ज वाके चक 17 एम.एम.के.

लगातार 2

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

(3)

के खाता संख्या 25/19 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 1.518 हैक्टर का खातेदार काश्तकार है तथा चक 17 एम.एम.के. खाता संख्या 25/19 मे से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण से इस बावत निवेदन किया तो पहले तो वे टाल मटोल करते रहे बाद मे आज से 10 रोज पूर्व मुकाम जोडकिया मे साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। वाद वादीगण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे

(क) घोषणा फरमाई जावे कि वादी गुरमीतसिह, प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिह के नाम दर्ज वाके चक 17 एम.एम.के. खाता संख्या 25/19 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 1.518 हैक्टर का खातेदार काश्तकार है तथा चक 17 एम.एम.के. खाता संख्या 25/19 मे से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।
(ख) अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ मुफीद मुदई हो तो अता फरमाई जावे।
(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 19.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर करनें पर उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा पहचान किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त अनवानी प्रकरण मे पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक नम्बर 17 एम.एम.के. खाता संख्या 25/19 मे 1.518 हैक्टर व इसी चक 18 एल.एल.डबल्यू. ए के खाता संख्या 19/18 मे 1.012 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि पूर्व मे वादी के दादा स्व. जंगीर सिह की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात बसिलसिला विरासतन वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिंह पर औद हुई। उक्त भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है जिसमे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वर्थ राईट हांसिल है चूकि उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा अन्य सम्पति के अलावा अर्जीदावा की दफा 2 मे वर्णित भूमि का आपस मे घरू बंटवारा (पारीवारिक समझौता) कर लिया है। पारीवारिक समझौता/घरू बंटवारा होने के पश्चात् प्रतिवादीया संख्या 2 ने घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है। मुताबिक घरू बंटवारा पारिवारिक समझौता वादी को वाके चक 17 एम.एम.के. खाता संख्या 25/19 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 1.518 हैक्टर प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 को वाके चक 18 एल.एल.डबल्यू. ए खाता संख्या 19/18 मे दर्ज 1.012 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई है। घरू बटवारा के रोज से ही वादी अपने घरू बंटवारा में प्राप्त। अपने हक हिस्सा की भूमि पर काबिज रहकर बिना किसी रोक टोक के काश्त कर रहा है। वादी गुरमीतसिह, प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिह के नाम दर्ज वाके चक 17 एम.एम.के के खाता संख्या 25/19 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 1.518 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तथा चक 17 एम.एम.के. खाता संख्या 25/19 मे से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाये तो हम पक्षकारान सहमत है।

लगातार 3

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक किया जाकर मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री फरमाया जावे तो हम पक्षकारान को कोई आपत्ति एतराज नही है।

प्रकरण मे उभयपक्ष के मध्य राजीनामा से किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण मे तनकीयात कायम नही होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागणों ने वाद एवम् राजीनामा मे दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध मे आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53 आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेलसिंह के नाम तहसील हनुमानगढ के चक नम्बर 17 एम.एम.के. खाता संख्या 25/19 मे 1.518 हैक्टर व चक 18 एल.एल.डबल्यू. ए के खाता संख्या 19/18 मे 1.012 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। जो उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवम् साक्ष्य दस्तावेजात के अनुसार जद्दी जायदाद होनें के कारण वादी जो कि प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र होनें के कारण उनका पैतृक भूमि में हक हिस्सा निहित होनें से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

सहायक कलेक्टर
उपखण्डअधिकारी

लगातार 4

Web Copy - Not Official

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित तहसील हनुमानगढ़ के चक नम्बर 17 एम.एम.के. खाता संख्या 25/19 मे प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिंह के नाम दर्ज कुल 1.518 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र वादी गुरमीतसिंह को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर वाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(6)

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 186/2019

1 गुरमीत सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 गुरमेलसिंह पुत्र जगीरसिंह जाति जटसिख निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 प्रवीण पाल कौर पुत्री जंगीर सिंह पत्नी श्री गुरमेज सिंह जाति जटसिख निवासी 23 आर.बी. संगराना तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
3 आई.डी.बी. आई बैंक शाखा हनुमानगढ़ जंक्शन।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 07.08.2019

वादीगण की और से श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की और से श्री अमरिक सिंह अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 07.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत के अन्तर्गत वाद में वर्णित तहसील हनुमानगढ़ के चक नम्बर 17 एम.एम.के. खाता संख्या 25/19 में प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिंह के नाम दर्ज कुल 1.518 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र वादी गुरमीतसिंह को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 07.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –		

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 16:06:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: